

लगि-संवेदनशील जलवायु नीतियाँ

प्रलिमिंस के लयि:

[संयुक्त राष्ट्र जलवायु परविरतन](#), [राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान \(NDCs\)](#), [UNFCCC](#), [पेरसि समझौता](#), [शुद्ध-शून्य उत्सरजन](#)

मेन्स के लयि:

लगि-संवेदनशील जलवायु नीतियाँ: आवश्यकता, चुनौतियाँ, सफारशिँ

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्योँ?

[संयुक्त राष्ट्र जलवायु परविरतन](#) सचवालय की एक नई रपिरट में वैश्वकि स्तर पर लगि-संवेदनशील जलवायु नीतियाँ में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।


वर्ष 2014 में लैगकि दृष्टकिण पर प्रथम [UNFCCC लीमा वरक प्रोगराम \(LWPG\)](#) और वर्ष 2019 में LWPG के उन्नत संस्करण को अपनाने के बाद से [राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान \(NDCs\)](#) सहति सभी रपिरटों एवं संचारों में लगि एकीकरण को महत्त्व मलिा है।

नोट:

- LWPG की स्थापना लैगकि संतुलन को बढ़ावा देने तथा पेरसि समझौते के कार्यान्वयन में वभिन्न पक्षों एवं सचवालय के कार्य में लैगकि वचारों को एकीकृत करने के लयि की गई थी, ताक लैगकि संवेदनशील जलवायु नीति एवं कार्रवाई को महत्त्व मलिा सके।

//

Lima work programme on gender



इस रपॉर्ट के मुख्य नषिकर्ष क्या हैं?

नषिकर्ष:

- **लैंगिक दृष्टिकोण को महत्त्व देना:** पेरसि समझौते के लगभग 81% पक्षकारों ने अब अपने NDCs में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल किया है।
 - यह वर्ष 2015 की तुलना में एक महत्त्वपूर्ण सुधार है, जब बहुत कम NDCs में लैंगिक दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया था।
- **संस्थागत तंत्र को मज़बूत करना:** लगभग 62.3% पक्षकारों ने जलवायु कार्रवाई में लैंगिक वचारों को एकीकृत करने के लिये संस्थागत तंत्र को मज़बूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला है।
- **लैंगिक संतुलन पहल:** लगभग 11.5% पक्षकारों ने अनुकूलन प्रयासों (वैशेष रूप से **कृषि**, वानिकी और जल संसाधनों के क्षेत्र में) की नगिरानी एवं मूल्यांकन में शामिल हतिधारक समूहों के बीच लैंगिक संतुलन और वविधिता को बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित पहल की वसितृत जानकारी दी है।

लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता:

- **लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता:** लगभग 55.7% पक्षकारों ने जलवायु कार्रवाई में लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जो इसके महत्त्व को दर्शाता है।
- **खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव:** इस रपॉर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन से उपलब्धता, पहुँच, उपयोग एवं स्थिरता के संदर्भ में **खाद्य सुरक्षा** खतरे में पड़ जाती है।
 - वकिसशील देशों में **खाद्य उत्पादन में 45-80% की हसिसेदारी रखने वाली महिलाएँ** इससे असमान रूप से प्रभावित होती हैं क्योंकि इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं।
- **भेद्यता पर वचार:** इस रपॉर्ट में जलवायु परिवर्तन के प्रति महिलाओं की बढ़ती संवेदनशीलता पर बल दिया गया है, इसमें यह भी कहा गया है कि संवेदनशील परस्थितियों में रहने वाले पुरुषों को अक्सर नीति नयिोजन में नज़रअंदाज किया जाता है।

सफिरशिनँ एवं भवषिय के पहलू:

- **जलवायु पहलों को बढ़ावा देना:** हतिधारकों का मानना है कि जलवायु पहलों की महत्त्वाकांक्षा और प्रभावशीलता में सुधार के लिये लैंगिक-संवेदनशील रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है।
 - अधकिसश पक्षों ने जलवायु कार्रवाई के मूलभूत पहलू के रूप में **लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता** दोहराई है।
- **वैश्विक समीक्षा परणाम:** UNFCCC के पक्षकारों के 28 वें सम्मेलन में प्रथम वैश्विक समीक्षा के परणाम, पक्षकारों को लिंग-संवेदनशील जलवायु नीतियों और कार्यों को लागू करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।
- **NDC का अगला दौर (NDC 3.0):** वर्ष 2025 में NDC की आगामी प्रस्तुत लैंगिक समानता और प्रभावी जलवायु परणामों को प्राप्त करने की दशिया में सहयोगात्मक प्रयासों को मज़बूत करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है।

भारत का राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDC)

- भारत ने वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- अद्यतन NDC **वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन** तक पहुँचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दशिया में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- वर्ष 2021-2030 की अवधि में स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के लिये एक नए ढाँचे का उद्देश्य हरति क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ाना, इलेक्ट्रिक वाहनों और कम उत्सर्जन वाले उत्पादों के वनरिमाण को बढ़ावा देना और **हरति हाइड्रोजन** जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है।
- देश मज़बूत अनुकूलन लक्ष्यों के लिये प्रतिबद्ध है।
 - इससे **जलवायु परिवर्तन** के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों पर केंद्रित वकिस कार्यक्रमों में नविश बढ़ेगा।
- भारत अत्याधुनिक **जलवायु प्रौद्योगिकी** के त्वरति प्रसार के लिये क्षमता नरिमाण करेगा।

जलवायु कार्रवाई में लैंगिक समानता का क्या महत्त्व है?

- **कृषि पर प्रभाव:** महिलाएँ कृषि उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका नषिताती हैं लेकिन संसाधनों, सेवाओं और नरिणय लेने की प्रक्रियाओं तक उनकी समान पहुँच नहीं है।
 - यदि महिला कसिनॉ को पुरुषों के समान संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो तो **कृषि उपज में 20-30% की वृद्धि हो सकती है** जिससे संभवतः 100-150 मिलियन लोगों की भुखमरी कम हो सकती है तथा वर्ष 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2.1 गीगाटन की कमी आ सकती है।
- **भूमि स्वामित्व और संसाधन नयित्रण:** वैश्विक कृषि कार्यबल में महिलाएँ एक तहियाँ हैं लेकिन भूसवामयिों में उनकी हसिसेदारी केवल 12.6% है।
 - यह असमानता **कृषि सहायता तक उनकी पहुँच को सीमति करती है** तथा अनुकूलन तकनीकों एवं फसल पैटर्न के बारे में सीमति जानकारी के कारण उनकी भेद्यता में वृद्धि होती है।
- **नरिणय-नरिमाण एवं जलवायु नेतृत्व:** जलवायु संबंधी नरिणय-नरिमाण में महिलाओं को शामिल करना प्रभावी जलवायु नीतियाँ बनाने के लिये आवश्यक है।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. 'भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संघर्ष' (ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलाएन्स के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

1. यह यूरोपीय संघ की पहल है।
2. यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजट में जलवायु परिवर्तन के एकीकृत हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
3. इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान (WRI) और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद (WBCSD) द्वारा किया जाता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. वहनीय (अफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अनिवार्य हैं। भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये। (2018)

